Annexure- X

भारत सरकार
पंजीकरण प्राधिकारी
.....के ० लो ० नि ० वि ०
(पंजीकरण प्राधिकारी का पिनकोड सहित पता)
दूरभास- ..... ईमेल- .....

Govt. of India
(Enlistment authority), DG CPWD

सं ०:
No:

दिनांक ०: मंगलवार, 14 अक्तूबर 2025
Dated: Tuesday, 14 October 2025

सूचीबद्धता आदेश

Enlistment Order

Office Order No._____ (Class- I(A), Category - Buildings & Roads)

निम्नलिखित आवेदक उसके आवेदन के संदर्भ में.....(पंजीकरण प्राधिकारी).....द्वारा ठेकेदारी के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

With reference to his/her application, (Enlistment Authority) DG CPWD is pleased to enlist the following applicant as contractor.

Details of enlisted contractor	
Name of contractor :	
Status of entity :	
Address :	83 B-2034/234, 12 EXTENTION, 411 C-234, Chanakya Puri, NEW DELHI, DELHI, INDIA
Category :	Buildings & Roads
Class :	I(A)
Tendering limit :	75.0 Crore
Enlistment valid upto :	22/10/2025
Email :	test@gmail.com
Mobile :	8787665554
Landline number :	67654454334
PAN No :	
GST Registration number :	

LOKENDRA	CHANDRASEKHAR
XXXX XXXX 5454	XXXX XXXX 5454

* last four digit only

Terms and Conditions of Enlistment

(1) निविदा की शर्तों एवं प्रतिबंधो के अनुसार सूचीबद्ध ठेकेदार के.लो.नि.वि. के कार्यों के लिए इस आदेश में वर्णित अथवा समय - समय पर संशोधित नियमों अथवा नवीनतम सूचीबद्धता नियमों में वर्णित निविदा सीमा के लिए पूरे भारतवर्ष में निविदा डालने के पात्र होंगे।
Subjected to NIT conditions and restrictions, the firm will be eligible to tender for CPWD Works in whole of the Indian Union upto the tendering limit as mentioned in this order or as amended from time to time or latest Enlistment Rules.

(2) सूचीबद्ध ठेकेदार को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सूचीबद्धता नियम 2024 में ठेकेदारों की सूचीबद्धता के नियमों एवं उसके बाद समय - समय पर संशोधित नियमों एवं अथवा नवीनतम सूचीबद्धता निमयों का पालन करना होगा।
The enlisted contractor shall abide by all the rules mentioned in Enlistment Rules – 2024 as amended from time to time or latest Enlistment Rules.

(3) सूचीबद्ध ठेकेदार को एनआईटी/अनुबंध /समझौते की शर्तों और नियमों का पालन करना होगा। (भवन और सड़क) या उद्यान कार्य से ऊपर के सूचीबद्ध ठेकेदारों को एनआईटी शर्तों के अनुसार समान कार्य अनुभव के लिए पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करना प्रस्तुत करना अवश्यक है।
Enlisted contractor shall abide by the terms and conditions of the NIT/Contract/Agreement. Enlisted contractor above class-I (Buildings and Roads) or Horticulture category are required to submit eligibility documents for similar work experience as per NIT conditions.

(4) इस सूचीबद्ध ठेकेदार का पूर्व में श्रेणी ..... वर्ग..... में किया गया पंजीकरण इस आदेश के जारी होने की तिथि से रद्द माना जाये। (लागू नहीं है तो काट दें)
The earlier enlistment order number..... of the contractor issued by ..... for class I(A) category Buildings & Roads shall stand cancelled w.e.f. the date of issue of this order. (Strike out if not applicable).

(5) सभी ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वे e-NIRMIT (सूचना प्रौधोगिकी के साथ राष्ट्रव्यापी बुद्धिमता संसधान प्रबंधन) के तहत विभिन्न CPWD वेब आधारित ऑनलाइन ERP क्रियाओं से अच्छी तरह परिचित /प्रशिक्षण हों। इस उद्देश्य के लिए ठेकेदार निदेशक-ई.आरपी (परिचालन एंव प्रशिक्षण) से टेलीफोन नंबर # 011&23060743@011&23063239; ई -मेल: deldirep-ot@cpwd.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
All contractors are advised to get themselves well acquainted/ trained on various CPWD web based online ERP processes under e-NIRMIT (Nationwide Intelligent Resource Management with Information Technology). The contractors may contact Director-ERP (Ops &Trg.) Telephone Number # 011- 23060743/ 011-23063239; e-mail: deldirerp-ot@cpwd.gov.in for this purpose.

(6) सीपीडब्ल्यूडी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचीबद्ध ठेकेदार के आदेशए सीपीडब्ल्यूडी वेबसाइट से ही प्रमाणित किए जा सकते हैं। वेबसाइट का पथ इस प्रकार हैं www.cpwd.gov.in → Contractors → List of Contractors → List of CPWD Enlisted Contractors. विभाग के द्वारा कागजी प्रति में भौतिक सत्यापन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
The enlistment orders available on CPWD website may be authenticated from CPWD website itself. The path in the website to check enlistment orders is as follows www.cpwd.gov.in → Contractors → List of Contractors → List of CPWD Enlisted Contractors. No request for physical verification in hard copy will be entertained by the enlisting authority of the department.

(7) नए सूचीबद्ध ठेकेदार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को सूचीबद्धता आदेश जारी होने की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर अनिवार्य ई.आरपी (ERP) प्रशिक्षण लेना होगा। जिसके बाद, उन्हें प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड किए बिना निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सूचीबद्ध ठेकेदार प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए किसी भी सीपीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान या एनसीए गाजियाबाद या निदेशक (ओ एंड टी), ई.आरपी यूनिट सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
The newly enlisted contractor or authorized representative shall take compulsory ERP training within forty five (45) days of the date of issue of enlistment order, after which they will not be allowed to participate in tendering process without uploading the training certificate.
The enlisted contractors may contact any of the CPWD Regional Training Institutes or NCA Ghaziabad or the Director (O&T), ERP Unit CPWD Headquarter for training purpose.

टिप्पणी

(i) उपरोक्त प्रावधानों के हिन्दी एवं अंग्रेजी रुपांतरण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रावधान मान्य होंगे।
(ii) आवेदक को पत्राचार व सूचीबद्धता आदेश को सी.ई.एम.एस. पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। पत्राचार व सूचीबद्धता आदेश स्पीडपोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

Note

(i) In case of any discrepancy in Hindi and English version, English version shall prevail.
(ii) Applicant shall download the communication letters and enlistment orders from the CEMS portal. Enlistment order and communication letter shall not be sent by speed post.

SE(C&M)

To

Name and address of the applicant

83 B-2034/234 , 12 EXTENTION , 411 C-234 , Chanakya Puri , NEW DELHI , DELHI , INDIA

Copy to :

All the officers of CPWD & PWD (Delhi Govt.)/CCU, Ministry of E&F for information please.